राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अपील संख्या 50/2023 उनवान : अजीतसिंह बनाम तहसीलदार देसूरी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 50/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/36

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट्स
अजीत सिंह पुत्र श्री जोध सिंह जाति राव, निवासी नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली राज.	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देसूरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय तहसीलदार देसूरी के प्रकरण उनवान सरकार बनाम अजीतसिंह प्रकरण क्रमांक 578/2022 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई।

उपस्थिति :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक: 09.07.2024

अपीलांट ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय तहसीलदार देसूरी दिनांक 28 फरवरी 2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोनाणा पटवार हल्का आना मे स्थित खसरा नबर 82 रकबा 2.89 हेक्टेयर गैर मुमकिन नदी मे 0.25 हेक्टेयर पर अपीलाट का अनाधिकृत कब्जा करने की रिपोर्ट के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू राजस्व नियम के तहत मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी कर पैशी दिनांक 20 फरवरी 2023 को तलब किया गया। पेशी दिनांक को अपीलांट तहसील कार्यालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हुआ किंतु पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से कोई सुनवाई नहीं हुई। न ही प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी बताई गई जिससे आगामी तारीख 28 फरवरी 2023 की कोई जानकारी अपीलाट को नही होने से इस दिनांक को वह उपस्थित नहीं हो पाया। इसके बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट को बिना सुने, अन्य कोई सूचना दिए, बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना साक्ष्य के अपीलाट को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने एवं आराजी पर अतिक्रमण करना स्वीकार करने के आधार पर मनमर्जी से गलत व गैर कानूनी निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के विरुद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ अवैध होने से उक्त निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत है।

पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे यह अंकित नही किया है कि अपीलांट का कितनी लबाई व चौडाई की भूमि पर कब्जा है। वास्तव में पटवारी द्वारा मौके पर जाकर अपीलाट की खातेदारी खरीदसुदा एव कब्जा सुदा भूमि का सीमाकन नही किया है न ही कोई नाप चौक किया है न ही रिपोर्ट की पूस्त मे बनाए गए नक्शे मे कब्जे में निर्माण का नापचौक अंकित किया गया है इस प्रकार स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच के बिना कार्यालय मे बैठकर गलत एवं मनमानी रिपोर्ट तैयार की है। ऐसी गलत मनमानी रिपोर्ट एवं गैरकानूनी आधार पर कार्रवाई किए जाने का कोई कारण आधार एव औचित्य नहीं था। इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गलत व मनमाना, गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा रिपोर्ट के पुस्त पर जिस प्रकार का नक्शा बनाया है वह गूगल मैप मे बताई गई मौके की स्थिति से मेल नही खाता है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मौजूद विभिन्न स्थितियो का तथ्यो का उल्लेख नही किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट को किसी भी साक्ष्य से साबित नही करवाया है न ही इस रिपोर्ट के खण्डन में अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलाट द्वारा मौके पर अतिक्रमण करना कभी भी स्वीकार नही किया गया है अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय गैर कानूनी मनमाना आदेश है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
बाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 अपील संख्या 50/2023 उनवान : अजीतसिंह बनाम तहसीलदार देसूरी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया अपीलांट द्वारा विभिन्न दस्तावेज व फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए जो शामिल मिसल किए गए।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट का सरकारी जमीन पर नदी की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने अपीलांट की खातेदारी भूमि एवं नदी की भूमि का सीमांकन किए बिना ही गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में उसको बिना सुने बेदखली आदेश पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

हमने प्रस्तुत अपील,पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज,फोटोग्राफ्स,अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया एवं अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में गैर सायल को अनुपस्थित बताया है साथ ही गैर सायल द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार करना भी बताया है ऐसी स्थिति को सही नहीं कहा जा सकता।

अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अतिक्रमित भूमि एवं अपीलांट की खातेदारी भूमि का सीमांकन कर अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनाक 09.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड सहित निर्णय भिजवाया जावे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

9/7/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला पाली